



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]
No. 295]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 1990/आषाढ़ 25, 1912
NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 1990/ASADHA 25, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(लघु उद्योग और कृषि ग्रामीण उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1990

सा.का.नि. 644(अ):—कयर बोर्ड (सचिव) भर्ती नियम, 1988 का प्रारूप, कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) को अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1209(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 1988 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1), तारीख 27 दिसम्बर, 1988 में प्रकाशित किया गया था। जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, ऐसी तारीख से, जिसको राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना जनता को उपलब्ध कराई गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 13-1-89 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप के संबंध में उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कयर बोर्ड (सचिव) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संस्था, परीकरण, वेतनमान और अर्हताएँ :—उक्त पद की संस्था, उसका वर्गीकरण, उसका वेतनमान और न्यूनतम अर्हताएँ वे होंगी जो इन नियमों से उपाध्यक्ष अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति : भर्ती की पद्धति और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 9 से स्तम्भ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. नियुक्ति प्राधिकारी : केन्द्रीय सरकार, कयर बोर्ड से परामर्श करते के पश्चात् किसी व्यक्ति को इन नियमों के अनुसार कयर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू न होने वाले के अर्थान अनुज्ञेय है और, ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्याप्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संवत्स में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये वेतन और अन्य अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6	7
सचिव	एक* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क"	3700-125-4700- 150-5000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

प्रोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हताएँ

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जायगा।

8	9	10
<p>आवश्यक :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री समतुल्य। 2. साधारण प्रशासन या कार्मिक प्रबंध या वित्तीय प्रबंध या विधि कार्य के क्षेत्र में समूह "क" के पदों पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। <p>बांछनीय :</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर डिग्री या डिग्री।</p>	<p>स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1) अखिल भारतीय सेवा या किसी अन्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" या राज्य सेवा समूह "क" के ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के उप-सचिव के समतुल्य पद धारण किये हुए हैं या भारत सरकार के उप-सचिव के समतुल्य पद पर नियुक्ति के पात्र हैं (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी)। (2) कयर बोर्ड के ऐसे अधिकारी जिनमें 3000-4500 रु० वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तम्भ 8 में विहित न्यूनतम अर्हताएँ हैं। 2. कयर बोर्ड के किसी अधिकारी के चयन की दशा में, पद पर उसकी नियुक्ति को प्रोन्नति माना जायेगा।

विभागीय प्रोत्ति सचिवों की संरचना

1. सचिव, श्रम, सचिव, औद्योगिक विकास विभाग—आयुक्त
2. संयुक्त सचिव जो कवर बोर्ड संबंधी कार्य करता है—सदस्य
3. अध्यक्ष, कवर बोर्ड, कोर्पोरेशन—सदस्य

[कार्य सं. 6(2) 90-कवर]

पुनः, श्री. महापात्र सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries and Agro Rural Industries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 1990

G.S.R. 644 (E):—Whereas the draft of the Coir Board (Secretary) Recruitment Rules 1988, was published as required by sub-section (i) of section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), with the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. G.S.R. 1209 (E) dated the 27th December, 1988 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 27th December, 1988 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which the said notification as published in the Official Gazette was made available to the public.

And Whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 13th Jan. 1989.

And Whereas no objections or suggestions were received from the public on the said draft, within the said period of forty-five days.

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. Short title and commencement—(i) These rules may be called the Coir Board (Secretary) Recruitment Rules, 1990.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification, scale of pay and qualification—The number of the said post, classification, scale of pay and the minimum qualifications required shall be as specified in columns 2 to 8 of the Schedule, annexed to these rules.
3. Method of recruitment—The method of recruitment and other matters relating thereto shall be as specified in columns 9 and 11 of the said Schedule.
4. Appointing authority—The Central Government, shall, after consulting the Coir Board, appoint a person as a Secretary to the Coir Board, in accordance with these rules.
5. Disqualification—No person,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that, such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by orders, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules in respect of any class or category of persons.

7. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order of the Central Government issued from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Secretary	*One	Group 'A'	Rs. 3700-125-4700-150-5000.	Selection	Not Applicable	Not Applicable
*Subject to variation depending on work load.						

Minimum qualifications for promotion	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	Composition of DPC
8	9	10	11
<p>Essential :</p> <p>1. A degree of a recognised University or equivalent.</p> <p>2. Not less than 10 years' experience in Group 'A' posts in the field of General Administration, or Personnel Management or Financial Management of Legal Affairs</p> <p>Desirable :</p> <p>Post Graduate degree or degree in law from recognised University.</p>	By transfer/deputation/promotion.	<p>1. (i) Officers of the All India Services or any other Central Services Group 'A' or the State Services Group 'A' holding posts equivalent to that of Deputy Secretary to the Government of India or be eligible for appointment to posts equivalent to that of Deputy Secretary to the Govt. of India (Period of deputation shall not ordinarily exceed four years).</p> <p>(ii) Officers of Coir Board with 5 years' regular Service in posts in the scale of Rs. 3000—4500 and having minimum qualification prescribed under column 8.</p> <p>2. In the event of Selection of an Officer of Coir Board, his appointment to the post shall be treated as promotion.</p>	<p>1. Secretary/Additional Secretary Department of Industrial Development —Chairman</p> <p>2. Joint Secretary dealing with Coir —Member</p> <p>3. Chairman, Coir Board, Cochin —Member</p>

[F. No. 6(2)/90-Coir]

S.B. MOHAPATRA, Jt. Secy.